संख्याः 71/2026/327पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/30/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांकः 31 मार्च, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि (राज्यांश) योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–1264 /पू0वि0निधि/राज्यांश/2025-26 दिनांक 12.03.2026, पत्र संख्या–1265 /पू0वि0निधि/राज्यांश/2025-26 दिनांक 12.03.2026, पत्र संख्या–1280 /पू0वि0निधि/राज्यांश/2025-26दिनांक 18.03.2026 एवं पत्र संख्या–1281 /पू0वि0निधि/राज्यांश/2025-26दिनांक 18.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की **रू. 627.12 लाख** (रूपये छह करोड सत्ताईस लाख बारह हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **312.00** लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ढिंगवस बैजलपुर मार्ग से रंजीतगढ़ होते हुए हुलासगढ़ सम्पर्क मार्ग।	1000	61.89	31.00	ग्रा0अभि0वि0
2	विकास खण्ड सांगीपुर – ग्राम सभा मुस्तफाबाद में मुस्तफाबाद बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग से स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज, महाकरलीपुरम विद्यालय तक इण्टरलाकिंग कार्य	180	9.06	5.00	ग्रा0अभि0वि0
3	विकास खण्ड सदर–ग्राम सभा जोगापुर में सियाराम कालोनी मार्ग से डॉ. राकेश शुक्ला के घर तक सीसी कार्य	300	19.94	10.00	ग्रा0अभि0वि0
4	विकास खण्ड सण्डवा चन्द्रिका – नगर पंचायत अन्तू में वार्ड जालिफा के अन्तर्गत मदन मोहन मालवीय जूनियर हाई स्कूल से लाल त्रिभुवन सिंह बालिका इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग कार्य	15	5.34	3.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	विकास खण्ड लालगंज – नगर पंचायत लालगंज के अन्तर्गत वार्ड अझारा में लालगंज कालाकांकर मार्ग से शीतलमऊ मान्टेसरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य	150	7.44	4.00	ग्रा0अभि0वि0
6	विकास खण्ड सांगीपुर – ग्राम पंचायत शाहबरी में ग्राम पंचायत भीखीपुर नौवहाजया सम्पर्क मार्ग से अशोक कुमार सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	350	19.38	10.00	ग्रा0अभि0वि0
7	विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ – ग्राम सभा पूरे बीलबल में भगौतीगंज बाबूगंज सम्पर्क मार्ग इण्टरलाकिंग से उमाशंकर शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	55	2.82	1.00	ग्रा0अभि0वि0
8	विकास खण्ड गौरा – ग्राम पंचायत रामापुर में रामापुर रहेदुवा सम्पर्क मार्ग से विनीता द्विवेदी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	100	4.73	2.00	ग्रा0अभि0वि0
9	विकास खण्ड सण्डवा चन्द्रिका – ग्राम सभा बहुचरा में सेक्टर मार्ग से बहुचरा कटैया मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	300	17.11	9.00	ग्रा0अभि0वि0
10	विकास खण्ड मंगरौरा – ग्राम सभा गंगेहटी में खड़ंजा से जनकराज सिंह के घर तक सीसी कार्य	80	4.48	2.00	ग्रा0अभि0वि0
11	विकास खण्ड लक्ष्मणपुर – ग्राम सभा घूरीपुर में सुदामा के घर से हनुमान मन्दिर होते हुए चौहान बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	70	3.46	2.00	ग्रा0अभि0वि0
12	विकास खण्ड लक्ष्मणपुर – ग्राम पंचायत सण्डवा दुबान में संदीप के घर से हनुमान मन्दिर होते हुए बसन्त दुबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	100	5.60	3.00	ग्रा0अभि0वि0
13	विकास खण्ड सदर – ग्राम सभा मादूपुर में पक्की सड़क से बद्री नारायण महाविद्यालय तक सीसी कार्य	200	10.56	5.00	ग्रा0अभि0वि0
14	विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ – ग्राम पंचायत अलीपुर में रामपुर काजी का पुरवा सम्पर्क मार्ग से गंगादेवी राधेश्याम हायर सेकेण्डरी बालिका विद्यालय अलीपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य	200	10.11	5.00	ग्रा0अभि0वि0
15	विकास खण्ड सांगीपुर – ग्रामसभा जोगापुर में गंगापुर नसीरपुर सम्पर्क मार्ग से भगौती प्रसाद मिश्र इण्टर कालेज सौम्य नगर राजापुर प्रतापगढ़ में इण्टरलाकिंग कार्य	50	2.57	1.00	ग्रा0अभि0वि0
16	विकास खण्ड गौरा – ग्राम पंचायत रामापुर में रामापुर कौलापुर सम्पर्क मार्ग से राम नरेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	150	8.28	4.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

17	विकास खण्ड कालाकांकर – ग्राम पंचायत रानीमऊ में रोकैयापुर कालाकांकर सम्पर्क मार्ग से श्याम लाल इण्टर कालेज रानीमऊ तक इण्टरलाकिंग कार्य	150	7.94	4.00	ग्रा0अभि0वि0
18	विकास खण्ड लक्ष्मणपुर – ग्राम पंचायत लीलापुर में प्राथमिक विद्यालय से हरिजन बस्ती होते हुए घनश्याम तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	120	6.72	3.00	ग्रा0अभि0वि0
19	विकास खण्ड लक्ष्मणपुर–ग्राम पंचायत उमरपुर में शिव बहादुर के घर से यश नरायण के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	100	5.60	3.00	ग्रा0अभि0वि0
20	ग्राम नरहरपुर में डफलान खमपुर दूबे पट्टी मार्ग से नरहरपुर कायस्थ तक बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	700	32.97	16.00	ग्रा0अभि0वि0
21	विकासखण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम में दीवानगंज मंगरौरा मार्ग कि०मी० 4 मार्ग से श्रीरामलखन मिश्र इण्टर कालेज होते हुए जोगीपुर के ब्राम्हण व पाल बस्ती तक का सड़क का नवनिर्माण कार्य	1550	95.71	48.00	ग्रा0अभि0वि0
22	विकासखण्ड पट्टी, नरायनपुर मुजाही सम्पर्क मार्ग से रामपुर बेला में प्राचीन हनुमान मंदिर तक सड़क निर्माण	750	45.36	23.00	ग्रा0अभि0वि0
23	विकासखण्ड बाबा बेलखनाथ धाम पिपरी दिलपीपुर रोड पर लोंहगपुर शिवसत चौराहे से कुम्हार बस्ती, पटेल बस्ती, कायस्त बस्ती, गांग पाटी से सरोज बस्ती अमरपुर दिलीपपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग	1000	43.64	22.00	ग्रा0अभि0वि0
24	ग्राम पर्वतपुर (सराय चन्द्रभान) में राम सुमेर के घर से राम सरन के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.05	2.00	ग्रा0अभि0वि0
25	ग्रामसभा खुझी हरिहरपुर में राजेश सरोज के घर से पन्ना लाल के शिव मंदिर तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.90	2.00	ग्रा0अभि0वि0
26	ग्राम सभा चाँदपुर में पिच रोड से उदय सिंह सेक्रेटरी के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.59	3.00	ग्रा0अभि0वि0
27	ग्राम सभा सरबाजपुर में लालजी नाई के घर से मेन रोड बाग तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.85	3.00	ग्रा0अभि0वि0
28	ग्राम सभा कटैया नेवादा वर्मा बस्ती में राजेश वर्मा के घर से रामबहादुर वर्मा के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.85	3.00	ग्रा0अभि0वि0
29	**ग्राम सभा बेलखरी हरिजन बस्ती में संतलाल हरिजन के घर के पास से पक्की सड़क तक**	**100**	**5.83**	**3.00**	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इंटरलाकिग कार्य				
30	ग्राम सभा राबतपुर हसनपुर में जीतलाल के घर से हरिलाल के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.89	2.00	ग्रा0अभि0वि0
31	ग्राम सभा हदिराही खास में सतीश सरोज के घर से राजेंद्र सरोज के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.04	3.00	ग्रा0अभि0वि0
32	सडवा चन्द्रिका के ग्राम सभा लखराव में इंटरलॉकिंग से सरोज बस्ती राम अभिलाष तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.92	2.00	ग्रा0अभि0वि0
33	ग्राम सभा सरुआ बनियानार के बिहारीलाल के घर से रामसुंदर के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.93	2.00	ग्रा0अभि0वि0
34	ग्रामसभा कोठार परमा का पुरवा में लक्ष्मी कोरी के घर से पक्की सड़क तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.37	3.00	ग्रा0अभि0वि0
35	ग्रामसभा सकूहाबाद में श्यामराज वर्मा काली माता मंदिर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.85	3.00	ग्रा0अभि0वि0
36	ग्रामसभा अभिमान का पुरवा में मेवा लाल वर्मा के घर से पक्की सड़क तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.59	3.00	ग्रा0अभि0वि0
37	ग्राम भीखमशाह गौराडांड में भगवानदीन वर्मा के घर से राम समुझ वर्मा के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.91	2.00	ग्रा0अभि0वि0
38	ग्रामसभा कंजास में सरोज बस्ती से पक्की सड़क तक इंटरलाकिग कार्य	130	8.62	4.00	ग्रा0अभि0वि0
39	ग्राम सभा कुटिलिया साडदेई में देवीदीन गौतम के घर से सरोज बस्ती खडंजा तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.83	3.00	ग्रा0अभि0वि0
40	ग्राम सभा इटौरी पूरे अभिमान सिंह में चेक पोस्ट से जीतलाल वर्मा के घर पीपल का पेंड़ तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.59	3.00	ग्रा0अभि0वि0
41	ग्राम सभा पूरे पाण्डेय कमोरा में स्व लालजी पाण्डेय के मशीने से केशव पाण्डेय पत्रकार के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.62	3.00	ग्रा0अभि0वि0
42	ग्राम सभा रंगौली कनेस्ता में शिवराम के घर से जमुना प्रसाद के घर तक नाली सहित इंटरलाकिग कार्य	100	6.31	3.00	ग्रा0अभि0वि0
43	ग्राम सभा पूरनपुर खजूर दूधनाथ धाम में मुंशी रजा के घर से राम आधार वर्मा के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.91	2.00	ग्रा0अभि0वि0
44	ग्राम सभा भावलपुर में जयराम के घर से पूरब तरफ रेलवे लाइन तक इंटरलाकिग कार्य	100	6.70	3.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

45	ग्राम सभा तेजगढ़ खास में संतोष कोटेदार के घर से गुड्डू सफाईकर्मी के घर तक इंटरलाकिग कार्य	150	8.39	4.00	ग्रा0अभि0वि0
46	**ग्रामसभा रामपुर कल्हवारी हरिजन बस्ती सुरेन्द्र गौतम के घर से काली माई के धाम तक इंटरलाकिग कार्य**	**100**	**4.89**	**2.00**	ग्रा0अभि0वि0
47	ग्रामसभा नेवाड़ी में पक्की सड़क से उमेश वर्मा के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.24	3.00	ग्रा0अभि0वि0
48	ग्रामसभा लक्ष्मीगंज संत बहादुर के घर से अरविन्द यादव के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	4.89	2.00	ग्रा0अभि0वि0
49	संडवा चन्द्रिका ग्राम सभा बंडा खुटार में रामवरन के घर से प्राथमिक विद्यालय कापा तक इंटरलाकिग कार्य	110	4.89	2.00	ग्रा0अभि0वि0
50	ग्राम सभा चमरुपुर पठान भटपुरवा में अब्दुल रहीम के घर से कब्रिस्तान के बगल से मेवालाल के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.60	3.00	ग्रा0अभि0वि0
51	ग्राम सभा बजहा में पन्नालाल बी0डी0सी0 के घर से प्राथमिक विद्यालय बजहा नवमान के खेत तक इंटरलाकिग कार्य	180	9.56	5.00	ग्रा0अभि0वि0
52	ग्राम सभा तरौल में इश्तियाक पत्रकार के घर से पक्की सड़क तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.33	3.00	ग्रा0अभि0वि0
53	ग्राम सभा गाबी महुवाबन में पक्की सड़क से फौजी के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.82	3.00	ग्रा0अभि0वि0
54	**ग्राम सभा हरखपुर में गुप्ता बस्ती से धोबी बस्ती होते हुए प्राइमरी विद्यालय तक इंटरलाकिग कार्य**	**100**	**5.60**	**3.00**	ग्रा0अभि0वि0
55	वि0ख0 संडवा चन्द्रिका के ग्राम सभा रजवट में पक्की सड़क से पिंकेश वर्मा के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	6.72	3.00	ग्रा0अभि0वि0
56	वि0ख0 संडवा चन्द्रिका के ग्राम सभा कल्यानपुर मौरहा में पक्की सड़क से अशोक कोरी के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	6.73	3.00	ग्रा0अभि0वि0
57	ग्राम सभा जुडापुर (शेखपुर बनी) बाबूलाल गुप्ता के घर से धर्मराज सिंह के घर तक इंटरलाकिग कार्य	100	5.60	3.00	ग्रा0अभि0वि0
	योग:	**11240**	**627.12**	**312.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त तालिका के (1) क्रमांक- 29, 46 एवं 54 के कार्यों पर होने वाले व्यय रू. 8,00,000/-(रूपये आठ लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83 के बजट लेखाशीर्षक- **4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछडे क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियो के लिये विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा तथा (2) शेष कार्यों पर होने वाले** व्यय रू. 3,04,00,000/- (रूपये तीन करोड़ चार लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- **4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण** कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 71/2026/327पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/30/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रतापगढ़।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रतापगढ़ मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रतापगढ़।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।